www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग),
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक, 23.06.2017

सीबीआई ने 50,000 रू. की घूस स्वीकार करने पर पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता (कार्य) को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 50,000 रू. की घूस की मॉंग व स्वीकार करने पर वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता (कार्य), पश्चिम रेलवे, वलसाड़ (गुजरात) को गिरफ्तार किया।

शिकायतकर्ता की फर्म को आवंटित ठेके से सम्बन्धित 12 लाख रू. (लगभग) के बिलों को जारी करने के लिए घूस की मॉंग के आरोप पर वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता (कार्य), पश्चिम रेलवे, वलसाड़ के विरूद्ध शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। ऐसा आगे आरोप था कि 50 लाख रू. (लगभग) मूल्य के पूर्व के चार बिलों के लिए कुल घूस राशि 2.10 लाख रू. (लगभग) थी, जिन्हे पास कर दिया गया। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से 50,000 रू. की घूस की मॉंग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी के कार्यालयी एवं आवासीय परिसरों में तलाशी की गई जिसमें 5.62 लाख रू. (लगभग) के नकद के साथ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

गिरफ्तार आरोपी को अहमदाबाद की नामित अदालत के समक्ष आज पेश किया जा रहा है।

****